

**न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-65/2014

संस्थित दिनांक-27.01.2014

फाईलिंग नं.-234503000762014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-संतराम पिता सुमरनसिंह धुर्वे, उम्र-40 वर्ष,  
निवासी ग्राम जैतपुरी, थाना गढ़ी जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-सोनसिंह पिता भुरेसिंह, उम्र-50 वर्ष,  
निवासी निवासी ग्राम जैतपुरी, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-03/11/2016 को घोषित)**

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34(2 काउन्टस) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-23.11.2013 को दिन के 2:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम झारा में सुश्री सोनाली कुशराम एवं राकेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में सुश्री सोनाली कुशराम एवं राकेश को धारदार एवं नुकीले पत्थर से मारकर तथा दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना गढ़ी में पदस्थ निरीक्षक योगेन्द्र साहू को रोजनामचा सान्हा क्रमांक-826, दिनांक-23.11.2013 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि फरियादी सोनाली कुशराम, चुनाव प्रचार हेतु ग्राम समरिया से ग्राम जैतपुरी जा रही थी, तभी आरोपी संतराम व सोनसिंह ने उसे पत्थर से मारा और कहा कि चुनाव प्रचार करने उनके गांव में क्यों आए हो। पत्थर मारने से राकेश के सिर पर चोट आई थी तथा सोनाली के दाहिने हाथ की कलाई में संतराम ने दांत से काटा था। उपरोक्त सूचना के आधार पर जांच की गई। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-74/2013, धारा-294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया, अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324/34(2 काउन्ट्स), 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत सुश्री सोनाली कुशराम एवं राकेश ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506(भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34,(2 काउन्ट्स) के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-23.11.2013 को दिन के 2:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम झारा में सुश्री सोनाली कुशराम एवं राकेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में सुश्री सोनाली कुशराम एवं राकेश को धारदार एवं नुकीले पत्थर से मारकर तथा दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सोनाली कुशराम (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना वर्ष 2013 की है। वह जैतपुरी बस्ती गई थी, जहां उसका आरोपीगण से मौखिक विवाद हुआ था। इस संबंध में उसने थाना गढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में आरोपीगण से अच्छे संबंध हो जाने से वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी सोनसिंह ने उसे पत्थर से मारा था तथा आरोपी संतराम ने दांत से काटा था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 में उसने ऐसा कथन दिया है कि आरोपी सोनसिंह व संतराम ने उसे पत्थर से मारा था और दांत से काटा था। साक्षी का कहना है कि उसका आरोपीगण से मात्र मौखिक विवाद हुआ था।

6- राकेश धुर्वे (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना वर्ष 2013 की है। वह जैतपुरी बस्ती गया था, जहां उसका आरोपीगण से मौखिक विवाद हुआ था। इस संबंध में उसने थाना गढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में आरोपीगण से अच्छे संबंध हो जाने से वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी सोनसिंह ने उसे पत्थर से मारा था तथा आरोपी संतराम ने दांत से काटा था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 में

उसने ऐसा कथन दिया है कि आरोपी सोनसिंह व संतराम ने उसे पत्थर से मारा था और दांत से काटा था। साक्षी का कहना है कि उसका आरोपीगण से मात्र मौखिक विवाद हुआ था।

7— प्रकरण में आरोपीगण और फरियादी पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को शमनीय प्रकृति की धाराओं में पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है तथा आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34(2 काउन्टस) अशमनीय नहीं होने से उक्त धारा में निर्णय किया जा रहा है। प्रकरण में आहत सोनाली कुशराम अ.सा.1, राकेश अ.सा.2 ने कहा है कि आरोपीगण से उनका मौखिक विवाद हुआ था। आरोपीगण ने उन्हें न तो पत्थर से मारा था और न ही दांत से काटा था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34(2 काउन्टस) का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34(2 काउन्टस) के अन्तर्गत अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

8— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

9— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया  
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट